



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपार्यों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 10.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 10.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ पुलिस टीम ने एक राय होकर घर में घुसकर बोलेरो गाड़ी को जलाने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.11.2024 को वादी विजय गुप्ता पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद निवासी बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ पर सूचना दी कि उनकी गाड़ी बोलेरो नम्बर UP70FV9538 घर के अन्दर खड़ी थी जो मेरे भाई विवेक कुमार के नाम पंजीकृत है। मेरी गाड़ी को 1. टेकलाल उर्फ संखराज पुत्र लाकनाथ निवासी सेमरा 2. छोटू पुत्र टेकलाल निवासी ग्राम गढ़ सेमरा थाना बरगढ़ ने साजिश कर अंकित केशरवानी, अनुज केशरवानी पुत्र अनिल केशरवानी व नितिन पुत्र फूलचन्द्र, बटू पुत्र बम्हनंद निवासी गण थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को पेट्रोल देकर मेरी गाड़ी में आग लगवाए है जिससे मेरी गाड़ी जलकर खाक हो गयी है कि सूचना पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना बरगढ़ पर मु0अ0सं0 98/2024 धारा 191(2), 331(4), 326(g), 61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह को लगाया गया। आज दिनांक 10.11.2024 को उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण 1. अंकित केशरवानी 2. कपिल द्विवेदी उर्फ बटू 3. नितिन तिवारी उर्फ सुमेश्वर को अशोक चौराहा से गोइया रोड जाने वाली पुलिया पंचवटी गेस्ट हाउस से थोड़ी आगे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- (1). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़
- (2). आरक्षी रंजीत यादव
- (3). आरक्षी उमेश यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 23.09.2024 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम निवासी एक वादी द्वारा थाना पर सूचना दी कि उसकी पुत्री के साथ गाँव के ही लाल सिंह उर्फ कैरा ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी है। आज दिनांक 10.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 354,376,364,323,504,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त लाल सिंह उर्फ कैरा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह
2. आरक्षी गजेन्द्र सिंह पायक
3. आरक्षी दीपेश कुमार यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने लूट के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

दिनांक 24.09.2024 को वादी तिलक द्विवेदी पुत्र सुरेशचंद्र द्विवेदी निवासी रामपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा पर सूचना दी कि वह अपने घरेलू कार्य से पहाड़ी गया था वापसी के दौरान अपने घर लौट रहा था तब चार पहिया अल्टो गाड़ी नंबर यूपी 96 पी 2347 सफेद कलर की गाड़ी में चार आदमी नहरा कुम्हर गढ़वा तिराहा के पास घात लगाए बैठे थे जैसे ही मोटरसाइकिल पर मेरे साथ पीछे बैठे माता बदल पुत्र शिवलाल निवासी रामपुर को अल्टो गाड़ी से उतरे कुमकुम उर्फ अखिलेश पुत्र राधाकृष्ण ब्राह्मण साथ में अभिलाष उर्फ राजा पुत्र राधे कृष्ण, अरविंद पुत्र भुल्लू, जितेंद्र उर्फ खूंटी पुत्र राम भवन निवासी ग्राम नहरा थाना सरधुवा ने कुल्हाड़ी, बरछी व लोहे की रॉड, लाठी से तावड तोड़ हमला कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया एवं हाथ की उंगलियां फट गईं एवं शरीर में कई चोटें आईं और मैं जमीन पर गिर गया। पीछे बैठे व्यक्ति को भी मारा उसके भी चोट लगी एवं मेरे पास से ₹10700 कुमकुम ने निकाल लिए एवं डेढ़ तोला सोने की चैन उतार लिया। घटना के सम्बन्ध में थाना सरधुवा पर मु0अ0सं0 152/2024 धारा 115(2), 351(2), 309(6), 110 बीएनएस अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक सरधुवा को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा विवेचना उ0नि0 श्री मुन्नीलाल को सुपुर्द की गयी। आज दिनांक 10.11.2024 को उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कुमकुम उर्फ अखिलेश उपाध्याय उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामातलाशी ली गयी और लूटे हुए पैसे के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि खर्च हो गये है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा
2. आरक्षी अतुल मिश्रा
3. आरक्षी नरेन्द्र कुशवाहा
4. आरक्षी चालक शक्ति सिंह
5. महिला आरक्षी नेहा अहिरवार